न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

अपील संख्या — 06/2021

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2021/00010

अपीलांटः— **बनाम** **रेस्पोंडेंट्सः—**

1. जोताराम पुत्र हिराराम

2. मानाराम पुत्र हिराराम

3. राजाराम पुत्र हिराराम तमाम जातिगण रेबारी निवासीगण लालपुरा उप तहसील नाना जिला पाली राजस्थान

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार, नाना जिला पाली, राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांटस
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उप तहसीलदार नाना के आदेष दिनांक 12—05—2021 बअनवान सरकार बनाम मानाराम वगेरह प्रकरण संख्या 3/2021 में पारित आदेष को निरस्त करवाने बाबत।

—:आदेशः— दिनांक 17/2/2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो आदेश पूर्ण रूप से कानूनन एंव मौके की स्थिति के विपरित पारित किया गया है जो आदेश प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रोपर नोटिस जारी नही किया गया और न ही सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तामिल ही करवाया गया और न ही साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया इस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

2. यह है कि अपीलार्थी का जो ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 की भूमि पर कब्जा बताया गया है वो कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है एवं इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के पिता हिरारामजी के नाम का आबादी भूमि का विक्रय—विलेख संख्या 172 दिनांक 20.06.1996 को जारी किया गया हैं एवं उसी आधार पर मौके पर कब्जा एवं भेड़—बकरियों को रखने हेतु बाड़ा बनाया हुआ था एंव खसरा नं. 1621 के पास में स्थित भूमि खसरा नं. 1623 व 1623/1 की भूमि अपीलार्थी की कब्जासुदा व खातेदारी भूमि है एंव उक्त आबादी भूमि जिसमें बाड़ा बनाया हुआ है वो अपीलार्थी की भूमि से जुड़ती हुई है जो नियमानुसार अपीलार्थी के हक की भूमि है एंव अपीलार्थी का किसी भी रूप से कानून विरूद्व अतिक्रमण नही है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

3. यह है कि अपीलार्थी के विरूद्व जो अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस–पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न हीं ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो अपीलार्थी की पिताजी की पट्टासुदा है एंव इसी पट्टे के आधार पर बाड़ा बनाया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुरूप है, लेकिन इन दस्तावेजों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए केवल मात्र सरपंच जो अपीलार्थी के चुनावी खिलाफत व रंजिश चलते उक्त कार्यवाही पटवारी हल्का से मिलकर करवाई गई है। इस कारण भी उक्त अपीलार्थी आदेश निरस्त करने योग्य है।

4. यह है कि कानून के अनुसार प्रत्येक अतिक्रर्मी को अलग–अलग नोटिस नियमानुसार जारी किया जाना चाहिये एंव अलग–अलग प्रोपर तामिल करानी चाहिये थी लेकिन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों अतिक्रमियों का एक साथ नोटिस जारी किया गया एंव अपीलार्थी जो घर पर मौजुद नही थे भेड़–बकरियां चराने हेतु गये हुये थें। उनके घर पर कोई मौजुद नही था लेकिन उसके बावजुद भी सरपंच से मिलावट करके लेने से इंकार की रिपोर्ट दिखाई गई है। जो किसी भी रूप से न्यायोचित नही है।

5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2021 गैर सायल के अनुपस्थित रहने एंव अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं करने का लिखा गया है जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रोपर तामिल ही नही हुआ यदि नियमानुसार नोटिस तामिल करवाया जाता तो अपीलार्थी अपने हक के दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में पेश करता एंव अपने प्रकरण की पैरवी करता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पूर्णयता अनदेखी करते हुए एक पक्षीय अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में बेदखली सम्बन्धी आदेश पारित किया है एंव सरपंच से मिलकर के उक्त आदेश की पालना में मौके पर अपीलार्थी के जो बाड़े बने हुये थे जो पट्टासुदा भूमि में थे उनको बिना जांच किये मौके पर तोड़–फोड़ कर हटा दिया गया एंव अपीलार्थी को घर से बेघर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी रूप से न्यायोचित नही है एंव उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है।

6. यह है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2021 जो गैर सायल (अपीलार्थी) को बिना नोटिस तामिल हुये गैर मौजुदगी में एक पक्षीय पारित किया गया जिस आदेश की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही थी अपीलार्थीगण ग्रामीण क्षैत्र के भेड़–बकरी चराने के पशुपालक जो अनपढ है दिनांक 11.06.2021 को मौके पर अपीलार्थीगण जब भेड़–बकरिया चराने हेतु गये हुये थे तब पीछे से घर की औरते जो घर पर थी उनको बाहर निकाल कर तोड़–फोड़ कर बाड़े नष्ट कर दिये। प्रार्थीगण ने घर पर आकर इस सम्बन्ध में परिवार वालों से जानकारी की एंव अपीलाधीन आदेश की जानकारी व नकल हेतु तहसील कार्यालय जाकर दिनांक 22.06.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो नकले दिनांक 24.06.2021 को अपीलार्थीगण को दी गई एंव शनिवार व रविवार को राजकीय अवकाश होने से अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की नकल प्राप्त होने व जानकारी से अन्दर म्याद अपीलार्थीगण की अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसे अन्दर म्याद माना जाना न्यायहित में आवश्यक है।

7. यह है कि अन्य उजरात बरवक्त बहस पेश किये जायेगें।

अतः अपीलार्थी की ओर से अपील पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील मय व्यय स्वीकार फरमावें एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2021 जो

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या 03/2021 में पारित किया गया है उस आदेश को निरस्त फरमावें।

8. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

9. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित।

10. बहस उभयपक्ष सूनी गई।

11. वकिल अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 किस्म बा. अ. की भूमि पर कब्जा बताया गया है वो कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है एंव इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के पिता हिरारामजी के नाम का आबादी भूमि का विक्रय–विलेख संख्या 172 दिनांक 20.06.1996 को जारी किया गया हैं एवं उसी आधार पर मौके पर कब्जा एवं भेड़–बकरियों को रखने हेतु बाड़ा बनाया हुआ था एंव खसरा नं. 1621 के पास में स्थित भूमि खसरा नं. 1623 व 1623/1 की भूमि अपीलार्थी की कब्जासुदा व खातेदारी भूमि है एंव उक्त आबादी भूमि जिसमें बाड़ा बनाया हुआ है वो अपीलार्थी की भूमि से जुड़ती हुई है जो नियमानुसार अपीलार्थी के हक की भूमि है एंव अपीलार्थी का किसी भी रूप से कानून विरूद्व अतिक्रमण नही है। अपीलार्थी के विरूद्व जो अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस–पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न हीं ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो अपीलार्थी की पिताजी की पट्टासुदा है एंव इसी पट्टे के आधार पर बाड़ा बनाया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुरूप हैं।

12. वकिल अपीलाण्ट ने बहस क दौरान द्वितिय तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2021 गैर सायल के अनुपस्थित रहने एंव अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं करने का लिखा गया है जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस प्रोपर तामिल ही नही हुआ यदि नियमानुसार नोटिस तामिल करवाया जाता तो अपीलार्थी अपने हक के दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में पेश करता एंव अपने प्रकरण की पैरवी करता लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पूर्णयता अनदेखी करते हुए एक पक्षीय अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में बेदखली सम्बन्धी आदेश पारित किया है एवं उक्त आदेश की पालना में मौके पर अपीलार्थी के जो बाड़े बने हुये थे जो पट्टासुदा भूमि में थे उनको बिना जांच किये मौके पर तोड़–फोड़ कर हटा दिया गया एंव अपीलार्थी को घर से बेघर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी रूप से न्यायोचित नही है एंव उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है।

13. अन्त में वकिल अपीलाण्ट ने निवेदन कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार फरमावें एंव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2021 जो राजस्व प्रकरण संख्या 03/2021 में पारित किया गया है उस आदेश को निरस्त फरमावें।

14. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्टस द्वारा ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 कुल रकबा 4.75 हैक्टेयर किस्म बा.अ. भूमि में से रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि पर कांटो की बाड़ बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय उप तहसीलदार नाना द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण

अति. जिला कलक्टर (सीकिंग)
पाली (राज.)

संख्या 03/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय उप तहसीलदार नाना द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.05.2021 को अपीलाण्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.05.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

15. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते तहसीलदार को पूर्ण अधिकार हैं कि वे सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दे तथा किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाता हैं तो संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् विधिसम्मत बेदखली की कार्यवाही की जावे।

16. चुंकि उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया हैं कि मौजा ग्राम चामुण्डेरी के खसरा नम्बर 1621 किस्म बा.अ. की भूमि पर कब्जा बताया गया है वो कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है एंव इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के पिता हिरारामजी के नाम का आबादी भूमि का विक्रय–विलेख संख्या 172 दिनांक 20.06.1996 को जारी किया गया हैं एवं उसी आधार पर मौके पर कब्जा एवं भेड–बकरियों को रखने हेतु बाड़ा बनाया हुआ था एंव खसरा नं. 1621 के पास में स्थित भूमि खसरा नं. 1623 व 1623/1 की भूमि अपीलार्थी की कब्जासुदा व खातेदारी भूमि है एंव उक्त आबादी भूमि जिसमें बाडा बनाया हुआ है वो अपीलार्थी की भूमि से जुड़ती हुई है जो नियमानुसार अपीलार्थी के हक की भूमि है एंव अपीलार्थी का किसी भी रूप से कानून विरूद्व अतिक्रमण नही है। अपीलार्थी के विरूद्व जो अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस–पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न हीं ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 12.05.2021 में यह उलेख्खित नहीं किया हैं कि अपीलाण्ट का अतिक्रमित क्षैत्र के कौनसे व कितने भाग पर अतिक्रमण है, जिससे यह पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.05.2021 पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता हैं तथा अपील स्वीकार की जाति हैं। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नाना द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से अपास्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसाल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)